



—:: आदेश ::—

रायपुर, दिनांक 30/03/2026

क्रमांक एफ 1-6/2025/रास/यू-3 :: छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा **Professor (Dr.) Lalit Prakash Pateriya, Vice-Chancellor, Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)** को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

2/. Professor (Dr.) Lalit Prakash Pateriya का कार्यकाल, उपलब्धियाँ तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।


(डॉ. सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव
छत्तीसगढ़

h

// 2 //

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-6/2025/रास/यू-3

रायपुर, दिनांक 30/03/2026

प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर।
3. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, रतनपुर मार्ग, कोनी पुलिस थाना के सामने, कोनी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495009
4. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, रतनपुर मार्ग, कोनी पुलिस थाना के सामने, कोनी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495009
5. Professor (Dr.) Lalit Prakash Pateriya, Vice-Chancellor, Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.) : F-28, "Ram Aashraya", Viyayapuram Colony, Seepat Road, Bilaspur (C.G.) – 495006 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. उपसंचालक, शासकीय मुद्रणालय, रायपुर की ओर उक्त आदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 30/03/2026 में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।


राज्यपाल के सचिव
छत्तीसगढ़

h